न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
2602 / 2015	25.03.2015	05.04.2023

उनवान

1. श्यामसुन्दर पुत्र शिवकरण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
2. सुभाष पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
3. कंवरसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
4. सुरेश पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
5. नरेश पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
6. रविकुमार दत्तक पुत्र सरजीत जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।

वादीगण।

बनाम

1. जयनारायण पुत्र रामजीवन जाति अहीर ....मृतक।
   1/1 संतरा पत्नी जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/2 भोलू पुत्र जयनारायण अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/3 सत्यवीर पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/4 संगीता पुत्री जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/5 माया देवी बेवा सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
   1/6 सोनू पुत्र सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
   1/7 छोटेलाल पुत्र सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
   1/8 सुमन उर्फ काली पुत्री सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
2. रोहताश पुत्र रामजीवन जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीवन जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
4. जोगेन्द्र पुत्र बुधा जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
5. माया पुत्री बुधा जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
6. उपपंजीयक,नीमराना।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

8. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा नीमराना,जरिये शाखा प्रबंधक।
9. एस0बी0आई0 बैंक शाखा बहरोड़ जरिये शाखा प्रबंधक।
10. कृष्णा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति अही निवासी आ0जेड0एफ0 871 संजय गांधी मार्ग एफ ब्लॉक राजनगर नई दिल्ली।

:- तर. प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

कारी
वर)

2602/2023

स्थिती:–

1. श्री सतीश निभोरिया एड0 वादीगण की ओर से।
2. श्री एम0डी0शर्मा एड0 प्रतिवादी सं. 02 की ओर से एंव शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

ावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.साबिक 1020/05–01 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 1465/01.22 हैक्ट0 एंव साबिक ख.नं. 1082/08–12बिस्वा जिसका हाल ख.नं. 1642/0.05 व 1643/02.50 वाके ग्राम कायसा तह.नीमराना प्रस्तुत वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। जो आराजी आपस मे एक दूसरे से लगती हुई है।

2. बंदोबस्त विभाग ने दोराने बंदोबस्त संवत 2042 मे बंदोबस्त कर्मचारीयों व अधिकारीयों ने बिना मौके देखे व बिना कब्जे की जांच किए हाल ख.नं. 1465 का रकबा 04 एयर कम दर्ज कर दिया तथा उक्त 04 एयर रकबे को प्रतिवादीगण के हाल ख.नं. 1643 मे बढ़ा दिया जिसकी जानकारी प्रति.सं. 01 लगा. 05 होने के कारण दिनांक 20.06. 2014 को वादीगण की आराजी मुतनाजा 04 एयर पर जबरन कब्जा करना चाहा जिसपर वादीगण ने हल्ला मचाया तो आस पास के लोग मौके पर आगए जिन्होनें प्रतिवादीगण को कब्जा करने से रोका व बीच बचाव करवाया अन्यथा कोई संगीन वारदात हो सकती थी।

3. वादीगण ने दिनांक 26.06.2014 को समस्त राजस्व दस्तावेजो की नकले प्राप्त कर प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का राजस्व इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए कहा तो पहले तो हॉ की लेकिन दिनांक 01.07.2014 को साफ इंनकार हो गए जिस सूरत मे दावा इस्तकारार हक किया जाना लाजिम आया है। वादीगण इस आशय की डिक्री प्राप्त करने के मुस्तहक है कि आराजी ख.नं.हाल 1642/0.05 व 1643/02.50 वाके ग्राम कायसा मे से 0.04 रकबा कम करके आराजी ख.न. हाल 1465 का रकबा 01.26 एयर दर्ज कराया जावे।

4. प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 05 गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर वादीगण की खातेदारी की आराजी मुतनाजा 04 एयर पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा अपनी आराजी मे शामिल कर दिगन लोगों को बेचान करने की जुस्तजु मे है,इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

5. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज बहक वादीगण एंव तर0प्रति. सं 10 विरूद्व प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 05 इस आशय कि सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल ख.नं. 1465/01.22 वाके ग्राम कायसा का 04 एयर रकबा आराजी ख.नं. हाल 1642/0.05 व 1643/02.50 वाकें ग्राम कायसा के तह0 नीमराना के कागजातमाल मे बढा दिया है जिसे समस्त कागजातमाल से कलमजन कराया जाकर वाद मे वर्णित आराजी मुतनाजा का रकबा समस्त दस्तावेज जमाबंदी व खसरा गिरदावरी तथा मिसल हकियत बंदोबस्त व मिलान क्षेत्रफल मे हाल ख.नं. 1465 का रकबा 1.26 एयर दर्ज करया जावे तथा हाल ख.नं. 1643/0.50 के समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे 04 एयर रकबा कम किया जाकर 0.46 दर्ज किया जावे तथा उक्त 04 एयर को हाल ख.नं. 1465 मे बढाया जावे।

अधिकारी
(अलवर)

(ख) डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी विवादित वाके ग्राम कायसा के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादीगण को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष वैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

6. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । वाद तामिल प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि बंदोवस्त विभाग द्वारा किसी प्रकार की गलती नही की है हम प्रतिवादीगण की आराजी का मौके पर जितना रकवा था उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे रकवा अंकित किया गया है। वादीगण की किसी आराजी का रकबा हम प्रतिवादीगण की आराजी मे नही मिलाया है। वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी के बिच मे जो पुरानी डोल थी उसी अनुसार हाल नक्शा कायम किया गया था लेकिन वादीगण द्वारा हम प्रतिवादीगण की आराजी पर जवरन कब्जा करने की नियत से यह झूठा दावा पेश किया गया है। जवकि हम प्रतिवादीगण व वादीगण की आराजी के मध्य श्रीमान उपखण्ड अधिकारी वहरोड के आदेश से तहसीलदार,साहब व कानूनगो व पटवारी हल्का द्वार पैमाईश की जाकर पुख्ता पत्थरगढी की गई थी जो पत्थरगढी मौके पर मौजूद है तथा वादीगण ने पत्थरगढी को अपने खेत के पास उखाड भी दिया है ओर झूठा दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है।

7. वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड की शुरू से ही जानकारी थी व मौके पर जहा पर पुरानी डोल थी वही पर आज भी है लेकिन पुरानी डोल को वादीगण स्वयं बार–बान तोड देते है व हम प्रतिवादीगण की आराजी मे घुस जाते है इसलिए हम वादीगण द्वारा अपनी आराजी की पुख्ता पैमाईश करवा कर पत्थरगढी करवा दी है। वादीगण की आराजी का 01 इंच रकवा भी हम प्रतिवादीगण की आराजी मे मिला हुआ नही है। इसलिए वादीगण किसी प्रकार का रकवा दुरूस्त करवाने के अधिकारी नही है। ना ही रकवा दुरूस्त किए जाने का कोई कानूनी प्रावधान है।

8. हम प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी पर काबिज है,वादीगण हम प्रतिवादीगण की आराजी के वावत किसी प्रकार की हु0ई0दवामी प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादीगण का वाद काविल खारिज है। अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

9. जवाव दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई। वादीगण ने अपने साक्ष्य मे श्यामसुन्दर पुत्र शिवकरण का शपथपत्र पी0डब्लू0 01 व चन्दगीराम पुत्र रामावतार का शपथपत्र पी0डब्लू0 02,सुरेश पुत्र रघुवीर का शपथपत्र पी0डब्लू0 03 व निहालसिंह पुत्र लीलाराम का शपथपत्र पी0डब्लू0 04 के शपथपत्र पेश किए है। तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श 01,02 , नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03, नकल जमाबंदी संवत 2034 प्रदर्श 04,05 व फोटोप्रति मिसल हकियत बंदोबस्त व नक्शा पेश किए है। प्रतिवादीगण को साक्ष्य हेतु वार–बार अवसर दिए जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कि गई इसलिए प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

10. वकील वादीगण व वकील प्रति. 02 बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से हैः–

तनकी नं0 01:– आया भूप्रबंध विभाग संवत 2042 मे साबिक ख.नं. 1020 रकबा 05–01 बिस्वा व साविक ख.नं. 1082 रकबा 08–12बिस्वा वाके कायसा के हाल ख.नं. 1465,1642 कायम करते हुए रकबे मे कमी बेसी की गई है? इस तकनी का भार

खण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर)

वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 के अनुसार साबिक ख.नम्बरान के हाल ख.नं. निम्न प्रकार कायम किए गए है:-

संवत 2042			
हाल	साबिक	हाल	साबिक
1465 / 01.22	1020 / 05-01 बिस्वा	1642 / 0.05 1643 / 02.50	1082 / 08-12 बिस्वा -----

उक्त मिलान क्षेत्रफल से साबित है कि साबिक ख.नं. 1020 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार हाल ख.नं. 1465 का रकबा 01.26 दर्ज होना चाहिए था जबकि भूप्रबन्ध विभाग द्वारा 04 एयर रकबा कम करतें हुए हाल ख.नं 1465 का रकबा 01.22 दर्ज किया गया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 1082 रकबा 08-12 बिस्वा से हाल ख.नं. 1642,1643 कायम किया गया है जिनका रकबा मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 02.15 दर्ज होना चाहिए था परन्तु भू प्रबंध विभाग हाल ख.नं. 1642 का रकबा 0.05 व 1643 का 02.50 दर्ज किया गया है। यानि कुल रकबा 02.55 दर्ज किया गया है जबकि 02.15 दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार यह साबित है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा हाल ख.नम्बरान का रकबा साबिक रकबे के अनुसार दर्ज न किया जाकर हाल रकबे मे कमी बेसी की गई है। जबकि भू प्रबंध विभाग को साबिक रकबे के अनुसार ही हाल रकबा दर्ज करना चाहिए था। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं. 02- आया वादीगण अपने- हाल ख.नं. 1465 मे 04एयर बढया जाकर अपने हाल नं का रकबा 1.26 दर्ज कराने के अधिकारी है,तथा प्रतिवादीगण के ख.नं. 1643 / 02.50 मे से 04 एयर कम कराया जाकर हाल ख.नं. 1643 का रकबा 02.46 बाद दुरूस्ती कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2043 प्रदर्श 04 व 05 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख.नं. 1020 / 05-01 बिस्वा शिवकरण पुत्र रामदेव की खातेदारी मे दर्ज था। तथा साबिक ख.नं. 1082 / 08-12 बिस्वा बुधा,जयनारायण,रोहताश,लक्ष्मीनारायण पुत्रान रामजीवन की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे साबित है कि साबिक ख.नं. 1082 प्रतिवादीगण की खातेदारी का था तथा ख.नं. 1020 वादीगण की खातेदारी मे दर्ज था। नकल खतोनी भूप्रन्बध विभाग से साबित है कि हाल ख.नं. 1642 / 0.05,1643 / 02. 50 प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज है। जो साबिक ख.नं. 1082 / 08-02 बिस्वा से कायम किए गए है। भू प्रबंध विभाग द्वारा इन हाल नम्बरान का साबिक रकबे के अनुसार रकबा दर्ज न किया जाकर रकबा बेसी दर्ज किया गया है। इसी प्रकार साबिक ख.नं. 1020 / 05-01बिस्वा से भू प्रबंध विभाग ने हाल ख.नं. 1465 वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करते हुए रकबा 01.22 कम दर्ज किया है। यानि 04एयर रकबा कम दर्ज किया है। तथा हाल ख.नं. 1643 का रकबा बेसी दर्ज किया गया है। हाल नक्शा के अनुसार वादीगण का ख.नं. 1465 प्रतिवादीगण के ख.नं. 1643 से लगता हुआ है। नकल जमाबंदी साबिक,नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल नक्शा से यह तथ्य साबित है कि वादीगण का रकबा भू प्रबन्ध विभाग द्वारा 04 एयर कम किया जाकर प्रतिवादी के ख.नं. 1643 मे बढाया गया है। जिसे नकल जमाबंदी संवत 2069-72 प्रदर्श 01 के अनुसार हाल ख.नं. 1643 / 02.50 प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। तथा नकल जमाबंदी संवत 2069-72 प्रदर्श 02 के अनुसार हाल ख.नं. 1465 / 01.22 वादीगण की खातेदारी मे दर्ज है। यह तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं. 03:- आया भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण की आराजी का कोई रकबा प्रतिवादीगण की आराजी मे सामिल नही किया है, मौके पर पुरानी डोल कायम है तथा प्रतिवादीगण ने मौकेपर पत्थरगढी कराई हुई है। वादीगण का वाद काबिल खारिज है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब मे बताया है कि मौके पर उपखण्ड अधिकारी बहरोड के आदेशा अनुसार पत्थरगढी कराई हुई है परन्तु इस अभिकथन की पुष्टि मे प्रतिवादीगण द्वारा कोई पैमाईश रिपोर्ट व

अधिकारी
(अलवर)

पत्थरगढी के आदेशों की प्रति पेश नही की गई है। इसके अलावा प्रतिवादीगण को साक्ष्य का बार–बार अवसर दिए जाने के पश्चात भी कोई साक्ष्य पेश नही की गई। दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य के अभाव मे प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्व करने मे असफल रहे है। इसलिए यह तनकी भी बहक वादीगण तय की जाती है।

11. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण व तर0प्रति0 सं. 10 विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर आराजी हाल ख.नं. 1643 / 02.50 वाके ग्राम कायसा का रकबा 04 एयर कम किया जाकर उक्त 04 एयर को हाल आराजी ख.नं. 1465 / 01.22 वाके ग्राम कायसा मे सामिल किया जाकर हाल ख.नं. 1465 का रकबा 01.22 के बजाय 01.26 दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा तदानुसार ही समस्त कागजातमाल हाल ,जमाबंदी,खसरा गिरदावरी व मिसल हकियत बंदोबस्त,मिलान क्षेत्रफल व नक्शा मे बाद दुरूस्ती अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

5/4/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
2602 / 2015	25.03.2015	05.04.2023

उनवान

1. श्यामसुन्दर पुत्र शिवकरण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
2. सुभाष पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
3. कंवरसिंह पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
4. सुरेश पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
5. नरेश पुत्र रघुवीर जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
6. रविकुमार दत्तक पुत्र सरजीत जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।

वादीगण।

बनाम

1. जयनारायण पुत्र रामजीवन जाति अहीर ....मृतक।
   1/1 संतरा पत्नी जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/2 भोलू पुत्र जयनारायण अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/3 सत्यवीर पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/4 संगीता पुत्री जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह.नीमराना जिला अलवर।
   1/5 माया देवी बेवा सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
   1/6 सोनू पुत्र सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
   1/7 छोटेलाल पुत्र सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
   1/8 सुमन उर्फ काली पुत्री सोनाराम पुत्र जयनारायण जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
2. रोहताश पुत्र रामजीवन जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
3. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीवन जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
4. जोगेन्द्र पुत्र बुधा जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
5. माया पुत्री बुधा जाति अहीर निवासी ग्राम कायसा तह. नीमराना जिला अलवर।
6. उपपंजीयक,नीमराना।
7. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

8. पंजाब एण्ड सिंध बैक शाखा नीमराना,जरिये शाखा प्रबंधक।
9. एस0बी0आई0 बैंक शाखा बहरोड़ जरिये शाखा प्रबंधक।
10. कृष्णा देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति अही निवासी आ0जेड0एफ0 871 संजय गांधी मार्ग एफ ब्लॉक राजनगर नई दिल्ली।

:— तर. प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

प्रती:—

1. श्री सतीश निभोरिया एड0 वादीगण की ओर से।
2. श्री एम0डी0शर्मा एड0 प्रतिवादी सं. 02 की ओर से एंव शेष प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

—::पर्चा डिक्री::—

वाद वादीगण बहक वादीगण व तर0प्रति0 सं. 10 विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर आराजी हाल ख.नं. 1643/02.50 वाके ग्राम कायसा का रकबा 04 एयर कम किया जाकर उक्त 04 एयर को हाल आराजी ख.नं. 1465/01.22 वाके ग्राम कायसा मे सामिल किया जाकर हाल ख.नं. 1465 का रकबा 01.22 के बजाय 01.26 दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है तथा तदानुसार ही समस्त कागजातमाल हाल ,जमाबंदी,खसरा गिरदावरी व मिसल हकियत बंदोबस्त,मिलान क्षेत्रफल व नक्शा मे बाद दुरूस्ती अमलदरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

5/4/2022

[illegible] सिंह (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)